



राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश
विशाल काम्पलेक्स, 19 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या : एन.एच.एम. / एस.पी.एम.यू. / FW / 70-4 / 2015-16 / 2096-2 दिनांक : 26.06.2015
विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत परिवार कल्याण कार्यक्रम सम्बन्धी योजनाओं का भुगतान
पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल के माध्यम से किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।

महोदय / महोदया,

जैसा कि आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु
दर तथा सकल प्रजनन दर में कमी लाना है, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किए जा
रहे हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम आर0सी0एच0 का महत्वपूर्ण अंग है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के
सक्रिय कियान्वयन के बिना प्रदेश में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को कम कर पाना संभव नहीं है। इस
उद्देश्य के दृष्टिगत परिवार नियोजन कार्यक्रम में विभिन्न योजनाएं यथा - आशा एवं सेवाप्रदाता पी.पी.
आई.यू.सी.डी. प्रोत्साहन राशि (शासनादेश संख्या 1349 / पॉच-9-2014-9(113) / 05, दिनांकित
9 सितम्बर 2013), आशा प्रोत्साहन राशि (शासनादेश संख्या 1345 / 5-10-13-एफ-15 / 12 टी0सी0,
दिनांकित 12 सितम्बर 2013), फैमली प्लानिंग इंडेमिनिटी स्कीम (शासनादेश संख्या
731 / पॉच-9-2014-9(293) / 13, दिनांकित 9 सितम्बर 2014), इन्हैन्स्ड कम्पन्सेशन स्कीम 2014
(शासनादेश संख्या 1675(2) / पॉच-9-2014-9(222) / 14, दिनांकित 13 दिसम्बर 2014) संचालित की
जा रही है। उक्त वर्णित योजनाओं के अतिरिक्त सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों एवं एकेडिटेड गैर सरकारी
स्वास्थ्य इकाईयों / संस्थाओं के माध्यम से प्रदान की जा रही नसबंदी सेवाओं के लाभार्थियों को भी
क्षतिपूर्ति धनराशि दिए जाने का भी प्राविधान है।

वर्तमान में, परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित उक्त योजनाओं के दृष्टिगत
लाभार्थियों / सेवाप्रदाताओं / आशाओं को भुगतान में पारदर्शिता लाने, किसी भी प्रकार की वित्तीय
अनियमितता व अनाचार को रोकने तथा एक सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए सी0ए0जी0
की संस्तुतियों एवं भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या एस.पी.एम.यू. / एन.आर.एच.एम. / 2012-13 / लेखा / पी.एफ.
परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या एस.पी.एम.यू. / एन.आर.एच.एम. / 187 / 5067-2, दिनांक 04.02.2015 तथा अधोहस्ताक्षरी के स्तर से प्रेषित पत्र एस.पी.एम.यू./
एन.आर.एच.एम. / 2012-13 / लेखा / पी.एफ.एम.एस. / 187 / 96-2, दिनांक 08.04.2015 के द्वारा सभी
भुगतान पी.एफ.एम.एस. वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवार
नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित उक्त योजनाओं सम्बन्धी भुगतान हेतु सभी
लाभार्थियों / सेवाप्रदाताओं का आधार कमांक और / अथवा बैंक खाते का विवरण एम0सी0टी0एस0
डेटाबेस / एस.पी.पी. कार्ड में दर्ज किये जाने का प्रावधान किया गया है तथा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में
समस्त भुगतान पी.एफ.एम.एस. वेब पोर्टल के माध्यम से किये जाएंगे।

वर्तमान में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से विजनेस कॉर्स्पोन्डेण्ट (बी.सी.) योजना का
आरम्भ किया गया है एवं सभी जनपदों में ग्रामीण क्षेत्रों में इस नेटवर्क में कार्यरत कर्मचारियों के नाम व
फोन नम्बर भी वित्त अनुभाग द्वारा जनपदों को प्रेषित कर दिये गये हैं। यदि आवश्यक हो तो आप अपने
फोन नम्बर भी वित्त अनुभाग को जनपद के नाम व फोन नम्बर अपने जनपद की स्टेट बैंक
क्षेत्र में कार्यरत समस्त आशाओं, सेवाप्रदाताओं एवं लाभार्थियों के फोन नम्बर अपने जनपद की स्टेट बैंक
ऑफ इंडिया की शाखा को पुनः उपलब्ध कराने का निर्देश दे दें। इसी के साथ आप अपने क्षेत्र के बी.सी.
के फोन नम्बर आशाओं / सेवाप्रदाताओं को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दे दें जिससे वे अपने क्षेत्र

खुशहाल परिवार का मंत्र - दो बच्चों में तीन साल का अंतर ॥

के बो.सी. से सभी योजना सम्बन्धी लाभार्थियों के बैंक खाते खुलवाने हेतु सम्पर्क कर लें।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत सचांलित उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को पी.एफ.एस. वेब पोर्टल के माध्यम उनके बैंक खातों में स्थानान्तरित की गयी धनराशि की जानकारी पत्र के साथ संलग्न लाभार्थी नसबंदी भुगतान प्रमाण पत्र के माध्यम से दे दी जाये जिसकी एक प्रति लाभार्थी को एवं एक प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय पर संरक्षित की जाये।

जनपद के जिलाधिकारी महोदय से अनुराग्य है कि वह अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को जनपद की सभी सरकारी एवं एक्रेडिटेड गैर सरकारी चिकित्सा इकाईयों तक उक्त दिशा निर्देश पहुंचाने के निर्देश दे दें। प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम./2012-13/लेखा/पी.एफ.एस./187/5067-2, दिनांक 04.02.2015 के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही पूर्णकर अपने जनपद में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी भुगतान पी.एफ.एस. वेब पोर्टल के माध्यम से आरम्भ करवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न यथोक्त

भवदीय,

9
26/6/15
(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्र संख्या : एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./FW/70-4/2015-16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, प0क0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त नियंत्रक एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
9. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

1
(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

महिला/पुरुष नसबंदी लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
 पुत्र/पत्नी
 पूरा पता/निवासी

मोबाइल नं०
 ने दिनांक को इस चिकित्सालय में नसबंदी करायी, जिसका रजिस्टर
 क्रमांक है।

1. लाभार्थी द्वारा दिये गये बैंक खाता संख्या -
 में दिनांक को नसबंदी क्षतिपूर्ति धनराशि रु० -
 ऑन लाइन पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से हस्तान्तरित कर दिया गया है, जो कि
 24-48 घण्टे में उक्त खाते में पहुँच जायेंगे।

अथवा

वर्तमान में लाभार्थी द्वारा बैंक खाता संख्या उपलब्ध नहीं कराई गई है। लाभार्थी द्वारा खाता
 सं० उपलब्ध कराने के उपरांत नसबंदी क्षतिपूर्ति धनराशि रु० -
 ऑन लाइन पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से हस्तान्तरित कर दी जाएगी, जो कि
 24-48 घण्टे में उक्त खाते में पहुँच जायेंगे।

2. पूर्व में लाभार्थी द्वारा बैंक खाता सं० उपलब्ध न होने की स्थिति में लाभार्थी द्वारा
 दिनांक को अपनी बैंक खाता संख्या उपलब्ध कराई गई है।
 लाभार्थी द्वारा दिये गये बैंक खाता संख्या - में
 दिनांक को नसबंदी क्षतिपूर्ति धनराशि रु० -
 ऑन लाइन पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से हस्तान्तरित कर दिया गया है, जो कि
 24-48 घण्टे में उक्त खाते में पहुँच जायेंगे।

किसी भी समर्या के
लिये सम्पर्क न०

हस्ताक्षर द्वारा इकाई प्रभारी

नाम, पदनाम व मोहर